राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

— : : आवश्यक सूचना : : —

वृत–तृतीय के अधीन राजस्थान आवासन मण्डल की खांन भांकरी रोड, आवासीय योजना, दौसा में आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के 48, अल्प आय वर्ग के 36 तथा मध्यम आय वर्ग "अ" के 24 फ्लैटस के आवंटन हेतु वर्ष 2014 में पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट आवंटन करने हेतु लॉटरी दिनांक **23/12/2015 को प्रातः 11:00 बजे उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, जे0एल0एन0 मार्ग, जवाहर सर्किल, जयपुर** के कार्यालय में वेब बेज्ड प्रणाली के आधार पर आयोजित की जायेगी।

उक्त लॉटरी हेतु संबंधित आवेदकों को दिनांक 18.12.2015 तक आक्षेप (यदि कोई है) प्रस्तुत करना होगा। इस तिथि के पश्चात् किसी भी आवेदक का कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट :–आवदेक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी/पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास/भूखण्ड नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा पाया गया तो आवेदक का पंजीकरण/आवंटन सदैव निरस्त किये जाने एवं सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त किये जाने योग्य होगी, जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

— : : लॉटरी का कार्यक्रम निम्नानुसार है : :—

विवरण	दिनांक	स्थान
1. लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई (अन्तरिम) सूची का प्रकाशन	दिनांक 16.12.2015 सांय 05:00 बजे	आवासीय अभियन्ता, खण्ड–दौसा 1/68, खांन भांकरी रोड, दौसा , कार्यालय उप आवासन आयुक्त , वृत–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल , जवाहर सर्किल के पास , जवाहर लाल नेहरू मार्ग , जयपुर के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाईट पर
2. अन्तरिम सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	दिनांक 18.12.2015 सांय 06:00 बजे तक	आवासीय अभियन्ता, खण्ड–दौसा 1/68, खांन भांकरी रोड, दौसा एवं कार्यालय उप आवासन आयुक्त , वृत–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल , जवाहर सर्किल के पास , जवाहर लाल नेहरू मार्ग , जयपुर के कार्यालय में।
3. लॉटरी हेतु योग्य आवेदकों की अंतिम सूची का प्रकाशन	दिनांक 21.12.2015 सांय 05:00 बजे	आवासीय अभियन्ता, खण्ड–दौसा 1/68, खांन भांकरी रोड, दौसा , कार्यालय उप आवासन आयुक्त , वृत–तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल , जवाहर सर्किल के पास , जवाहर लाल नेहरू मार्ग , जयपुर के नोटिस बोर्ड एवं मण्डल की वेबसाईट पर
4. आवास आवंटन / वरीयत निर्धारण लॉटरी	दिनांक 23.12.2015 प्रातः 11:00 बजे	उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, जे0एल0एन0 मार्ग, जवाहर सर्किल, जयपुर

नोट :–

1. **यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।**
2. **लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति में परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किये जाऐंगे।**
3. **लॉटरी हेतु योग्य/अयोग्य आवेदकों की सम्पूर्ण सूची मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर तथा योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई/स्थाई सूची निर्धारित कार्यक्रमानुसार वृत–तृतीय कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी।**

उप आवासन आयुक्त, वृत–तृतीय, जयपुर